

मध्यप्रदेश शासन  
प्रश्न विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 6-1/2018/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2019

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कमिश्नर  
समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।

- विषय- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना।  
संदर्भ- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 8-1-1991,  
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार दिनांक 29-2-1996  
3. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक/एफ 6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25-9-2012.  
4. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार, दिनांक 28-7-2018.

.....

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 8-1-1991 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश के नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना की विधि निर्धारित की गई है । इस गणना को क्रमशः परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 1996 एवं दिनांक 25-9-2012 के द्वारा और स्पष्ट किया गया है । इन वर्णित परिपत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से दिनांक 9-3-1987 तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 15 दिन तथा दिनांक 9-3-1987 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 07 दिन के आधार पर कुल पात्रता ज्ञात की जानी है । दिनांक 9-3-1987 के पश्चात की संपूर्ण सेवाअवधि के लिए प्रथमतः दो वर्ष के कालखंड पर 15 दिन की दर एवं शेष अवधि के लिए 7 दिन प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की जानी है ।

2/ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार, दिनांक 28 जुलाई 2018 से म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 को संशोधित करते हुये शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है।

3/ उपर्युक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2018 के पश्चात सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों /सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 दिवस निर्धारित करता है । गणना का उदाहरण संलग्न है।

4/ यह आदेश दिनांक दिनांक 1-7-2018 से प्रभावशील माना जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( अनुराग जैन )

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

(1)	नियुक्ति दिनांक	10-04-1983	1-8-1982	
2.	सेवानिवृत्त	31-7-2018	30-11-2019	
3.	नियुक्ति दिनांक से 9-3-1987 तक कुल सेवा	03 वर्ष 10 माह 29 दिन	04 वर्ष 7 माह 9 दिन	
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा	31 वर्ष 04 माह 21 दिन	32 वर्ष 8 माह 21 दिन	
5.	सरल क्रमांक (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	03×15= 45 दिन 1×15= 15 दिन 60 दिन	04×15=60 दिन 01×15=15 दिन 75 दिन	
6.	सरल क्रमांक-4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन एवं खण्ड/वर्ष में 7 दिन की दर से)	15×15=225 दिन 01×7= 07 दिन 232 दिन	16×15=240 दिन 240 दिन	

टीप- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्तंभ 3 में खण्ड माह की अवधियों का योग 12 माह से कम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। योग 12 माह से अधिक होने पर एक पूर्ण वर्ष माना जाकर निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा:-

- सरल क्रमांक 3 के स्तंभ 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिये जाएंगे।
- सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 07 दिन गणना में लिये जाएंगे।
- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्तंभ 3 दोनों में खण्ड वर्ष यदि 06-06 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिया जाएगा।

7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता .	292 दिन	315 दिन	-
8.	घटाईये - सेवा के दौरान अवकाश समर्पण का लाभ .	15 दिन	7	-
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता अधिकतम 300 दिवस की सीमा.	277 दिन	शेष 308 दिन (सीमित 300 दिवस)	अधिकतम 300 दिवस की सीमा

(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग